अध्याय–7

निष्कर्ष एवं सुझाव

निष्कर्ष एवं सुझाव

मैं यह महसूस कर रही हूँ कि पिछले पचास वर्षों के दौरान भारत की परमाणु नीति से जुड़ी लगभग सभी प्रमुख घटनाओं पर विचार किया जा चुका है, मई 1998 के दूसरे हफ्ते में 'शक्ति' कोड नाम से किये गये भारत के नाभिकीय परीक्षणों के सफलतापूर्वक सम्पन्न हो जाने से नाभिकीय प्रसार और निरस्त्रीकरण के मुद्दे पर तात्कालिक और अत्यावश्यक रूप से अन्तर्राष्ट्रीय ध्यान केन्द्रित हुआ। इस तथ्य के बावजूद कि प्रधानमंत्री वाजपेयी ने सफल परीक्षण की घोषणा के साथ ही निरस्त्रीकरण के प्रति भारत की सतत् प्रतिबद्धता को दोहराया था, दुनिया के कुछ देशों के अधिकारियों और मीडिया ने तुरन्त यह कहते हुए आलोचना की कि "पारम्परिक रूप से एक शांतिप्रिय देश" ने अपने लम्बे समय से अपनाए गए नाभिकीय निरस्त्रीकरण के सिद्धान्त को दबा दिया। भारत द्वारा अपनी परमाणु क्षमता को अस्त्र में परिवर्तित किए जाने को नाभिकीय प्रसार शुरू करने की संभावना को आश्रय देना समझा गया और इसीलिए दुनिया को नाभिकीय हथियार मुक्त क्षेत्र से दूर ठेलने के लिए निंदा भी की गई।

उपर्युक्त आरोपों को देखते हुए इस अध्ययन का उद्देश्य के आधार पर पहले खंडों में परमाणु की शक्ति, प्रभाव, उपयोग को दर्ज किया गया है। बाद के खंडों में पिछले छः दशकों में नाभिकीय क्षमता से जुड़े भारत के लंबे संघर्ष को प्रस्तुत किया गया है। यह तर्क भी दिया गया है कि अस्त्र निर्माण के फैसले के बावजूद भारत नाभिकीय अस्त्र मुक्त विश्व के जेहाद के सक्रिय दस्ते में हैं।

भारत की सबसे पहले यह आरोप लगाते हुए आलोचना की गई कि ये परीक्षण करके भारत ने बिना शर्त परमाणु अस्त्र और मिसाइल क्षमताएँ अर्जित न करने की अपनी वचनबद्धता छोड़ दी। यह सही नहीं था। नई दिल्ली ने भारत के परमाणु अस्त्र कार्यक्रमों के प्रारम्भ में ही परमाणु–सम्पन्न ताकतों की पक्षपातपूर्ण व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया। सन् 1967–68 में परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर से मना करने तथा मई, 1974 को पोखरन में किये गये परमाणु परीक्षण इस ओर स्पष्ट संकेत है कि भारत का लक्ष्य मूलभूत परमाणु अस्त्र क्षमताएँ प्राप्त करना, इस क्षमता का सृजन करना तथा इस विकल्प को खुला रखना है कि जब कभी देश की सुरक्षा की दृष्टि से अपेक्षित हो, इस विकल्प (परमाणु) को अपनाया जा सके।

भारत ने इसं बात पर भी गौर किया है कि एन0पी0टी0 की पक्षपातपूर्ण शर्तें सभी अंर्तराष्ट्रीय समझौतों/व्यवस्थाओं का मार्गदर्शी सिद्धांत रहीं, चाहे मिसाइल नियंत्रण प्रौद्योगिकी से जुड़ा क्षेत्र हो अथवा विशद परीक्षण निषेध संधि हो या प्रस्तावित विखंडनीय सामग्री नष्ट करने संबंधी संधि हो।

भारत को विश्व स्तर पर हो रही घटनाओं से स्पष्ट राजनीतिक संकेत मिलने लेगे थे। शीतयुद्ध के बाद और संयुक्त राज्य तथा सोवियत संघ में वैमनस्य की समाप्ति से अप्रसार मुद्दों पर परमाणु अस्त्र ताकतों के घमंडी तथा पक्षतापूर्ण रवैए में कोई अंतर नहीं आया। सोवियत संघ के विघटन तथा शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद अप्रसार संबंधी चर्चाओं में स्थिर, गतिहीन तथा स्वयं की तुष्टि करने वाले दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति होती रही। परिणामस्वरूप भारत को भी इस बदलते परिवेश में व्याव्हारिक और प्रभावी जवाबी काईवाई तैयार करनी पड़ी। मई 1998 में परमाणु परीक्षणों के माध्यम से भारत ने इसी उद्देश्य की पूर्ति करनी चाही है।

विश्व घटनाक्रमों का विश्लेषण करने पर वो कारण ज्ञात होते है जिससे भारत को प्रत्यक्ष रूप में परमाणु अस्त्रीकरण कार्यक्रम अपनाना पड़ा। मेरे विचार में, परमाणु अस्त्रों के विकल्पों को ठोस रूप देने से संबंधित कारण इस प्रकार है–

1. प्रथम कारण दिन–प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा सुरक्षा माहौल है जिसका भारत को सामना करना पड़ा तथा आठवें दशक के उत्तरार्द्ध से नेतावर्ग परमाणु नीति तैयार करने के लिए सक्रिय हो गये।

2. द्वितीय कारण निषेधात्मक और भेदभाव पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्थायें हैं, जिससे अंतरिक्ष और परमाणु प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत की संभावनाओं की दिशा में भारत के प्रयासों को मात्र दबाया ही नहीं जा रहा है बल्कि इन क्षेत्रों में परमाणु विकल्प इस्तेमाल करने की दिशा भी पूर्णतः अवरूद्ध हो जाती।

3. तृतीय कारण नई अन्तर्राष्ट्रीय सामरिक और प्रौद्योगिकीय व्यवस्था से विमुख होना था, जिसमें विद्यमान पाँच परमाणु सम्पन्न राष्ट्र लम्बे समय तक अपना प्रभुत्व बनाये रखते।

4. चतुर्थ कारण भौगालिक अखण्डता की दृष्टि से स्वांतत्र्योत्तर काल के अनुभव के संदर्भ में भारत के लिए यह अपेक्षित है कि इस देश के पास दीर्घकाल और अधुनातन रक्षा क्षमता होनी चाहिए।

5. पंचम, भारत ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि निषेधात्मक दबावों के अधीन अन्य परमाणु अस्त्रों की दृष्टि से सक्षम देश भी स्वयं परमाणु सम्पन्न राष्ट्र बनकर इन दबावों से मुक्त हो रहें हैं, जैसे– फ्रांस और चीन अंतर्राष्ट्रीय दबावों के आगे झुक रहे हैं तथा उनकी परमाणु प्रौद्योगिकी क्षमताएँ (आत्मनिर्भर होने की दृष्टि से) दब रही हैं, जैसे– अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रिका तथा ब्राजील। भारत ने इन दबावों का मुकाबला करने के लिए पहला विकल्प चुना।

समसामयिक इतिहास में इन घटनाओं को दोहराने का प्रयोजन इस तथ्य पर बल देना है कि भारत की परमाणु नीति यूँ ही बिना किसी लक्ष्य के तैयार नही की गई। हमारी परमाणु नीति उन अतंराष्ट्रीय अप्रसार प्रवृतियों के प्रति जवाबी कार्यवाही है, जिनसे भारत की दृष्टि में दीर्घकालीन सुरक्षा हितों को खतरा है। इसी प्रेरणा से भारत मिसाइल विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया। सन् 1984 से 1989 तक राजीव गांधी ने इसपर प्रमुखतः बल दिया। यह प्रक्रिया आज तक जारी है।

क्षेत्रीय सुरक्षा परिवेश में हाल ही में हुए हास पर ध्यान केंद्रित करने की दृष्टि से पाकिस्तान की ओर से उठने वाले खतरे भारत के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। अप्रैल 1998 में आई.आर.बी.एम. मिसाइल, 'गोरी' दागी गई तथा पकिस्तानी परमाणु अस्त्र कार्यक्रम के जन्मदाता डॉ. अब्दुल कादिर खान ने दावा किया कि पाकिस्तान के पास प्रभावी सैन्य परमाणु अस्त्रागार है। भारत इन घटनाओं तथा दावों की अवहेलना नहीं कर सकता। भारत तथा विदेशों में पाकिस्तान की क्षमताओं के बारे में व्यक्त संशय पर ध्यान दिए बिना निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना आवश्यक है।

आज पाकिस्तान में चगाई पहाड़ियों, कंदीयाँ, चश्मा, लक्की, इस्साखेल, वाह, गोलरा, शेरिफ, रावलपिंडी, सिंहला, कहूता, खुशाब, लाहौर, मुल्तान और डेरा गाजी खाँ में चौदह प्रयोगशालाएँ तथा परमाणु सुविधास्थल हैं। इन सुविधाओं में ट्रिटीयम तथा यूरेनियम संवर्धन संयंत्र, खनन, सुविधाएँ, यूरेनियम हेक्सा फ्लूओराइड अंतरण, अस्त्र विनिर्माण केंद्र, ईधन विचरन केंन्द्र, परमाणु परीक्षण सुविधाएँ, हैवी वाटर निर्माण सुविधाएँ, प्लूटोनियम पुनः प्रक्रमण (miling) सुविधाएँ, परमाणु रिएक्टर्स तथा सुसज्जित अनुसंधान तथा विकास क्षमता शामिल है।

सन् 1964 से चीन की विकसित परमाणु क्षमता मिसाइल क्षमताओं तथा उन क्षमताओं पर ब्योरेवार चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, जिनके कारण चीन को परमाणु अस्त्र–संपन्न देशों के क्लब में स्वीकार किया गया।

अब मैं प्रमुख तथ्य पर आती हूँ। सन् 1994 और 1997 के बीच की अवधि में विशद (परमाणु) परीक्षण निषेध संधि (सी.टी.बी.टी.) को अंतिम रूप दे दिया गया था, जबकि भारत ने इस संधि पर सिद्धांतों तथा तर्क के आधार पर आपत्ति की थी। इस सी.टी.बी.टी. में पक्षपातपूर्ण प्रावधान यह था कि इस संधि के तहत विद्यमान परमाणु अस्त्र–संपन्न देशों को वैध करार दिया गया था। दूसरे इस संधि में उन्हें परमाणु अस्त्रों के आयुधागार बनाए रखने तथा अनिश्चित रूप से इनमें सुधार लाने की भी अनुमति दे दी गई थी। तीसरे, इस संधि में परमाणु शक्ति–संपन्न राष्ट्रों द्वारा अपने अस्त्र और अस्त्रों के भंडार नष्ट करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। चौथे, सी.टी.बी.टी. में विकासशील देशों के संबंध में मात्र सुरक्षा संबंधी विकल्पों पर ही नहीं, बल्कि परमाणु ऊर्जा की उपयोगिता के क्षेत्र में प्रौद्योगीकीय संभावनाओं पर भी रोक लगा दी गई। इन बातों के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका ने सी.टी.बी.टी. के विभिन्न उपबंधों पर आपत्ति की है। इसके साथ–साथ भारत जैसे विकासशील देशों की परमाणु प्रौद्योगिकीय क्षमताओं पर पक्षतापूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए विखंडनीय सामग्री नष्ट करने से संबंधित संधि तैयार की जा रही है। एक सामान्य धारणा यह भी है कि विकासशील देशों द्वारा द्वैध प्रयोग संबंधी प्रौद्योगिकीय विकास और अंतरण पर अतिरिक्त विषम पक्षपातपूर्ण व्यवस्थाएँ लादी जाएँ।

खराब क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल तथा पूर्ववर्ती समष्टिगत प्रवृतियों के कारण भारत परमाणु और मिसाइल अस्त्रीकरण के क्षेत्र में अस्पष्टता से सुस्पष्टता की ओर तथा संभावनाओं से व्यवहारिक उपलब्धि की ओर बढ़ने के लिए बाध्य हो गया। भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा परमाणु परीक्षण करने तथा उसके परिनियोजन के लिए अपने इरादों की घोषणा से अंतराष्ट्रीय सामरिक समीकरणों को एक नया आयाम मिला है। इसलिए भारत के परमाणु अस्त्रीकरण कार्यक्रम, इसके प्रसार तथा अंतरिम नकारात्मक परिणामों का सामना करने के तर्कों के आधार तथा औचित्य की जाँच करना प्रासंगिक होगा।

भारत के थर्मो–न्यूक्लियर और परमाणु परीक्षणों के निम्नलिखित निहितार्थ हैं–

पहला, भारत ने पूर्णरूपेण परमाणु शक्ति–संपन्न राष्ट्र के रूप में अपना दरजा स्वयं विश्व में स्वीकार किया है तथा इसकी पुष्टि की है। दूसरे, इन परीक्षणों से भावी कंप्यूटर अनुकरण (simulation) तथा उपक्रांतिक (sub critical) परीक्षणों की क्षमता सहित उच्च ऊर्जा भौतिकी की पुष्टि होती है। तीसरे, भारत ने क्षेत्रीय और अंतराष्ट्रीय सत्ता समीकरणों में सतुलनकारी कारकके रूप में सामरिक स्थिति प्राप्त कर ली है। चौथे, पाँच परमाणु राष्ट्रों की कट्टर हठ धर्मिता के बावजूद भावी अस्त्र नियंत्रण और निस्त्रीकरण की प्रक्रियाओं के लक्ष्य बदल चुके है। पक्षतापूर्ण प्रतिबंधों पर अनेक प्रश्नचिन्ह लग गए हैं।

भारत द्वारा राजनीतिक–सामरिक क्षेत्र में की गई पहल के प्रति अंतराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएँ भिन्न–भिन्न रहीं। अधिकांश प्रतिक्रियाएँ नकारात्मक रहीं। परमाणु परीक्षण के बाद नई दिल्ली को भारत के विदेश संबंधों में सबसे पहले इस मुद्दे का सामना करना पड़ा कि उसे अंतराष्ट्रीय समुदाय को समझाना पड़ा कि भारत ने मात्र अपनी सुरक्षा संबंधी अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए व्यावहारिक रूप से प्रयोग करते हुए, प्रत्यक्ष रूप से अपनी परमाणु क्षमता घोषित की है तथा इसकी पुष्टि की है। दूसरे, इस क्षेत्र में भारत संयम बरतेगा तथा जिम्मेदारी की भावना समझेगा और इससे शांति तथा स्थिरता को कोई खतरा नहीं है तथा भारत के आर्थिक आधुनिकीकरण तथ विकास पर असर पड़ेगा। फिर भी परमाणु परीक्षणों के परिणामस्वरूप भारत पर पाबंदियाँ अवश्य लगाई गई। हमें निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ा– राजनीतिक अलगाव, आर्थिक पाबंदियाँ, आवश्यक प्रौद्योगिकी प्राप्त करने से मना करने के लिए भारत पर पाबंदियाँ लगाना, पूर्ववर्ती आपत्तियाँ छोड़ने तथा बिना शर्त रखे सी.टी.बी.टी. का पालन करने के लिए भारत पर दबाव तथा प्रस्तावित विखंडनीय सामग्री नष्ट करने संबंधी संधि का पालन करना। हमें अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तथा भारत के राजनीतिक–सामरिक इरादों के बारे में इन देशों की शंकाओं का समाधान करना पड़ा। सरकारी क्षेत्रों में पाबंदियों से कुछ समय तक भारत को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। परंतु भारत के मूलभूत प्राकृतिक और मानव संसाधन तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित शक्ति ने इन पाबंदियों के दबावों का सामना सफलता पूर्वक किया क्योंकि भारत तीन अपेक्षाओं को पूरा करने में समर्थ था– (1) राजनीतिक दृष्टि से स्थिरता तथा एकता। (2) मुद्दों पर आश्वस्त करने के लिए विश्व की बड़ी ताकतों के साथ सकारात्मक विमर्श। (3) सोद्देश्यपूर्ण ढंग से आर्थिक उदारवाद तथा सुधार कार्य जारी रखना। यही कारण है कि कुछ वर्षों में ही विश्व तर्काधार तथा जिम्मेदार व्यवहार से सहमत हो गया और पाबंदिया लगभग समाप्त हो गई हैं।

इन परीक्षणों के संबंध में विदेशों द्वारा की गई आलोचना के संबंध में भारतीयों को क्या प्रतिक्रिया रही ? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने भारत से अपने उच्चायुक्त वापस बुला लिये थे। यह आडंबर मात्र था, क्योंकि इन देशों के अन्य ऐसे परमाणु शक्ति–संपन्न देशों के साथ संबंध अभी भी जारी हैं, जिन्होंने इन देशों की सीमाओं के पास परीक्षण किए थे और जो इन देशों की सुरक्षा कवच प्रदान कर रहे हैं। जापान द्वारा की गई भारत की आलोचना समझ में आती है, क्योंकि यही एक देश है जिसने परमाणु अस्त्रों का आक्रमण भुगता है। परंतु भारत की विशेष आलोचना अन्य परमाणु शक्ति–संपन्न राष्ट्रों के प्रति इसके व्यवहार के प्रतिकूल है,

क्योंकि जापान के इन देशों के साथ निकट संबंध है। संयुक्त राज्य तथा यूरोपीय लोकतांत्रिक देशों द्वारा की गई आलोचना यथापूर्वानुमानित थी। आशा की जा सकती है कि यदि आदान–प्रदान के आधार पर भारत सी.टी.बी.टी. के कुछ प्रावधानों का अनुसरण करना चाहता है तो बदले में इन देशों की प्रक्रियाएँ संयत होंगी तथा ये देश की समस्याओं तथा परमाणु संबंधी विषयों पर भारत जिम्मेदार तथा संतुलित और मर्यादित रिकॉर्ड को निष्पक्ष रूप से स्वीकृति देंगे। भारत के परमाणु परीक्षण के मूलभूत प्रेरक तत्व तथा तर्काधार सुरक्षा माहौल के प्रति सजगता, खतरों के प्रति संवेदनशीलता तथा इस तथ्य से जुड़े हैं कि देश की क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आत्मनिर्भर बनने के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है।

भारत ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया है कि केवल आत्मसंयम होने से ही अंतराष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूपसे महाशक्तियों से युक्तियुक्त जवाब प्राप्त नहीं हो सकता। भारत ने जॉर्ज हर्बर्ट की पुस्तक 'जक्यूला प्रुडेंटम' में दी गई उस उक्ति को स्वीकार किया कि 'यदि हम तलवार थामे रखना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि दूसरों को तलवार म्यान में डालने के लिए बाध्य कर दें।''

जब कोई राष्ट्र अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लेता है तो उसे इस निर्णय के प्रभावों तथा क्षोभ का भी सामना करना पड़ता है। इसके पीछे तर्काधार होना आवश्यक है। परंतु इससे भी अधिक जरूरी है कि हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में विशेष रूप से आवश्यक है कि निर्णय जानकर लोकमत का समर्थन प्राप्त हो।

11 और 13 मई 1998 को भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण संभवतः स्वतंत्रता–प्राप्ति के समय नेताओं द्वारा लिये गए प्रारंभिक नीतिगत निर्णयों के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्णय था। हमारे लोकमत के कुछ भाग हमारी परमाणु नीतियों से भलीभाँति अवगत थे। ये भाग काफी मुखर थे। जनता की प्रतिक्रिया के कतिपय पहलुओं को पोखरण–II के राजनीतिक, आर्थिक तथा प्रोद्योगिकीय प्रभावों का सामना करना पड़ा। हालाँकि विभिन्न विचारों का आदर करना लोकतांत्रिक व्यवस्था की अनिवार्यता है, फिर भी इस बात पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है कि सतासी–नबासी प्रतिशत भारतीय नागरिकों ने इन परीक्षणों का समर्थन किया है (लोक मतदान के अनुसार)।

आज चीन और पाकिस्तान के सार्वधिक महत्वपूर्ण देशों के साथ हमारे संबंध नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, हमें इन्हें सही दिशा में लाना है। विद्यमान परमाणु शक्ति–संपन्न देशों के संबंध में नीतियाँ बनानी होंगी। हमें निरस्त्रीकरण तथा अस्त्र नियंत्रण नीतियों के संबंध में

नए सिरे से व्यवस्थाएँ प्रतिपादित करनी होंगी, हालाँकि हमारे द्वारा परमाणु परीक्षण तथा नीतिगत बयानों के संबंध में तर्काधार तथा लक्ष्यों के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र तथा निरस्त्रीकरण कॉन्फ्रेंस मं इन विषयों पर चर्चा हो गई है।

भारत ने परमाणु संपन्न राष्ट्रों के साथ तकनीकी स्तर पर चर्चा प्रारम्भ कर दी ताकि इन दशों को यह अश्वासन दिया जा सके कि अनुशासन का पालन किया जाएगा और जहाँ तक भारत के मुद्दों का सवाल है वहाँ तक संयम बरता जाएगा तथा भारत की घोषित रणनीति–विषयक हैसियत को मान्यता दी जाए। अमेरिका से इस सम्बन्ध में कुछ ठोस शुरूआत भी हो गयी है। हम इस स्थिति पर विचार कर सकते हैं कि सी.टी.बी.टी. में शामिल हुए बिना अधिकतम संभव सीमा तक इसकी शर्तों का पालन करेंगे। (जहाँ तक यह संधि निष्पक्ष होगी) ठीक उसी प्रकार से भारत की स्थिति होगी जैसा कि चीन यह घोषित कर चुका है कि यद्यपि वह इस मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था में शामिल नहीं है, फिर भी चीन इसके प्रावधानों का पालन करेगा। हमनें अंतराष्ट्रीय समुदाय अपने पड़ोसी देशों, विशेष रूप से पाकिस्तान को एकतरफा वचन दिया है कि वह अपनी परमाणु अस्त्र क्षमता का पहले प्रयोग नहीं करेगा। हमें एफ.एम.सी.टी. के संबंध में वार्त्ताओं में भाग लेने की इच्छा जाहिर की है, बशर्ते कि इस व्यवस्था में सी.टी.बी.टी. में विद्यमान कमियाँ न हों। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें तकनीकी वार्त्ताओं का विषय बनाया जा सकता है। हमें संयुक्त राज्य, पाकिस्तान, रूस, चीन, ब्रिटेन तथा फ्रांस को आश्वस्त करना होगा कि हमारे परमाणु अस्त्र संपन्न राष्ट्र के दर्जे से किसी भी देश को काई खतरा नहीं होगा।

प्रारंभ से ही ये संकेत मिल रहे थे कि यह विश्व सामूहिक रूप से भारत के विरूद्ध आर्थिक और प्रौद्योगिकीय युद्ध नहीं छेड़ेगा। यहाँ कुछ चुनिंदा पाबंदियाँ लगाई जाएँगी और प्रत्येक देश द्वारा आयाम तय किए जाएँगे। हमें तार्किक, संयत तथा धैर्यपूर्वक जवाब देना चाहिए। हमारे राजनीतिक और कूटनीतिक रवैए में उद्धत राष्ट्रवादी तत्व नहीं होने चाहिए। बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा भारत के विरूद्ध अत्याधिक नकारात्मक निर्णय लिये जाएँ।

निष्कर्षतः हम कह सकते है कि परमाणु राष्ट्र बनने से संबंधित कठोर निर्णय लेकर भारत ने क्या हासिल किया। इन उपलब्धियों को संक्षेप में इस प्रकार बताया जाता है–

1. अपने हितों की खातिर अकेले किसी पथ पर चलना राष्ट्र तथा उस देश के नागरिकों की क्षमता की पहचान है। यह स्वतंत्रता तथा क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा तथा उसपर टिके रहने की इच्छाशक्ति की कसौटी है। संभवतः इस अग्निपरीक्षा से क्षमता या सामर्थ्य का पता चलता है।

2. विशेषज्ञों और सत्ता संरचना के स्तंभों को छोड़कर भारत के लोग अपनी वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय क्षमताओं के बारे में चिंतित तथा अनिश्चित थे। परमाणु विकल्प खुला रखने के सिद्धांत से वे भ्रमित थे। इन परीक्षणों से भारत के लोग निश्चित रूप से भारत की क्षमताओं तथा संभाव्यताओं से संतुष्ट हुए।

3. इन परीक्षणों से भारत का विदेश और रक्षा नीतियों के प्रति आत्मविश्वास तथा निर्णय लेने की शक्ति जाग्रत हुई है। इस घटना से भारत में सकारात्मक मनोवैज्ञानिक तथा भावात्मक दबाव महसूस किया गया है, हलाँकि इस घटना को मापा नहीं जा सकता है।

4. हमने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह स्पष्ट संदेश दिया कि हम परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं तथा हमने संतोषजनक स्तर तक अपनी क्षमताएँ देशज रूप से तैयार की हैं। यह एक आधार भूत वास्तविकता है तथा हमारी परमाणु शक्ति--संपन्न राष्ट्र के रूप में स्थिति के बारे में भले ही कानूनी तौर पर टालमटोल की जाए, परंतु इसपर विश्व को राजी होना पड़ेगा। क्योंकि 1 जनवरी, 1968 से पहले हमारे पास परमाणु क्षमता नहीं थी।

5. इस उपलब्धि से विश्व तथा हमारी जनता को यह संकेत भी मिलता है कि चौबीस वर्ष एक पाबंदियों के बावजूद यदि हमने संयम बरता तथा अनुशासन में रहे तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम दुर्बल थे या हमारे पास प्रौद्योगिकीय क्षमता का अभाव था। हमने अपनी इच्छा से संयम बरता तथा अपनी शक्ति और संभाव्यताओं के बारे में अच्छी तरह से जानकारी के आधार पर अपना रास्ता चुना।

6. हमने चारों ओर सामरिक और सुरक्षा माहौल के प्रति अपनी साख की नीवं रखी।

7. हमने राजनीतिक अर्थ में परमाणु शक्तियों के बीच सामरिक संतुलन को बदल दिया। हमने एशियाई ताकतों के बीच संबंधों के समीकरण भी बदल दिए।

8. हमारी इस प्रौद्योगिकीय क्षमता से शांतिपूर्ण प्रयोजनों की पूर्ति होगी तथा आर्थिक विकास में भी योगदान मिलेगा। अंततः किसी भी नई ग्लोबल व्यवस्था में भारत एक शक्ति होगा। भारतवासी ग्लोबल सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुमानों की अवहेलना नहीं कर सकते।

अनेक प्रकार से भारत के परमाणु परीक्षण और परमाणु अस्त्रों की हैसियत से पिछले पचास वर्षों के दौरान विदेश तथा रक्षा नीतियों के संबंध में हिचकिचाहट दूर हो गई। यह समीचीन है कि हमने विकासशील देशों के पक्ष में अंतराष्ट्रीय व्यवस्था में संतुलन लाने का प्रयास किया।

उपयुक्त विवेचना से निष्कर्ष निकलता है कि नाभिकीय अस्त्रों पर हमारी बहस का संदर्भ और सामग्री अपरिहार्य रूप से परिवर्तित हो गई है। ऐऐ अनेक मुद्दे हैं, जिन पर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता नहीं थी, कम से कम सार्वजनिक रूप से, अब उन पर विस्तार से चर्चा की जानी चाहिए और उनका मूल्यांकन होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से इन विषयों पर मतभेद हो सकता है लेकिन हम सभी को यह सुनिश्चित करना होगा कि इन चर्चाओं से एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य उभरे। क्योंकि ये मुद्दे भविष्य में हमारे अस्तीत्व से जुड़े है।

इस शोध प्रबन्ध के इन अन्तिम पृष्ठों पर मैं कुछ विचार या सुझाव प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हूँ, जिनके साथ यह मान्यता नहीं है कि वे अंतिम तर्क या आवश्यकता है या फिर उन्हें किसी तरह का अन्तिम निष्कर्ष समझा जाए, इस उम्मीद के साथ दिया जा रहा है कि उनसे हमारे नाभिकीय सिद्धान्त और रणनीति निकसित करने पर आगे की चर्चा सुनिश्चित होगी।

इस प्रकार इसका सार यह है कि अपने हितों को अपने सिद्धान्तों के अनुरूप पूरा करने के लिए हमारी नाभिकीय रणनीति रक्षा नियोजन और राजनय के सन्दर्भ में किये गये संयोजित उपयों के आधार पर निश्चित की जानी चाहिए। हमें भविष्य के लिए नाभिकीय नीति के जिन व्यापक स्थिरांकों पर विचार करना चाहिए उनमें से निम्नलिखित प्रमुख है--

1. अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए अस्त्रों के उन्मूलन के लिए एक भेदभाव रहित, प्रमाणिक अन्तर्राष्ट्रीय संधि करने का प्रयास करना चाहिए।

2. राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में एक मंदित प्रतिरोध क्षमता और रूप बनाए रखना होगा, जिससे अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ जब भी परमाणु अस्त्रों की भौतिक उपलब्धता की मांग करें तो राष्ट्रीय नाभिकीय क्षमता को अधिकतम स्तर तक बढ़ाया जा सके।

3. यह भी निर्धारित करना होगा कि युद्ध में प्रयोग करने लायक नाभिकीय स्फोटक शीर्ष के सभी उपकरण जोड़े जाने के लिए कम से कम समय में उपलब्ध हो जाए।

4. 150--5000 किमी0 तक क्षमता के सचल बैलिस्टिक मिसाइलों के विकास और तैनाती की प्रक्रिया तेज करना होगा। इसके लिए अगले पाँच वर्षों में आई.आर.बी.एम. के दो

से तीन दर्जन परीक्षणों और छोटी अड़चने दूर करने के लिए 50 पृथ्वी मिसाइल तैनात करना चाहिए।

5. परीक्षण स्थगित करना चाहिए, पर उसके साथ यह भी स्पष्ट करना होगा कि अगर कोई अस्त्र सम्पन्न राज्य नाभिकीय परीक्षण करता है तो हम परमाणु परीक्षण करने को अपने संप्रभु अधिकारों के प्रयोग के लिए स्वतंत्र होंगे। भारत को उस स्थिति में भी परमाणु परीक्षण करने के लिए तैयार रखना चाहिए जब सुरक्षा वातावरण में गंभीर ह्रास हो और उससे सर्वोच्च राष्ट्रीय हित प्रभावित हो रहा हो।

6. इसके साथ ही इस शर्त पर सी.टी.वी.टी. को स्वीकार करने की वार्ता के लिए तैयार रहना चाहिए कि हमारे परीक्षण के सभी नकारात्मक प्रभाव प्रतिबंध और आर्थिक उपाय दूर कर दिये जाएंगे। और नाभिकीय प्रौद्योगिकी और सामग्री (विशेषकर ऊर्जा क्षेत्र के लिए) प्राप्त करने के लिए भारत को अन्य अस्त्र सम्पन्न देशों के बराबर समझा जाएगा।

7. भारत को नाभिकीय अस्त्र विहीन देश के खिलाफ प्रथम प्रयोग न करने और बिल्कुल प्रयोग न करने का भी संकल्प लेना चाहे वह देश नाभिकीय अप्रसार संधि में शामिल हो या न हो।

टायनबी ने लिखा है "इस प्रदीर्घ इतिहास का प्रारम्भ यद्यपि पश्चिम से हुआ है फिर भी यदि मानव जाति को सम्पूर्ण विनाश से बचाना है तो उसका अन्त भारत के पास ही करना होगा। मानव जाति के इतिहास क्रम में वह भयावह कालखंड आ गया है। इस काल खण्ड में भारतीय दर्शन ही आदर्श एवं युक्ति संगत एक मात्र मार्ग है। यह जीवन आदर्श मार्ग सम्राट अशोक, महात्मा गाँधी, गौतम बुद्ध द्वारा दिखाया गया है। सर्वधर्म समभाव का संदेश था बसुध ैव कुटम्बकम यह भावना समस्त मानव समाज में दृढ़ करने के लिए जिस मनोवृत्ति को आवश्यकता है वह इसी जीवनदर्शन में है। आज के परमाणु युग में विनाश से बचने के लिए यही एक विकल्प है।"

आज ईसाई, यहूदी, मुसलमान, तथा हिन्दू सभी सभ्यताएँ परमाणु हथियारों की होड़ में अग्रसर हैं और दूसरी ओर सभी सभ्यताएँ शांति से जीने का मार्ग भी तलाश रही हैं। विश्व भर की विचार धारायें मनुष्य के हित चिन्तन तक सीमित हैं जबकि भारतीय चिन्तन में सम्पूर्ण ब्रम्हाण्ड को शामिल किया गया है। अतः भारतीय संस्कृति को आदर्श मानकर विश्व विनाश से बचने का संकल्प लिया जाना चाहिए। इसी में मानव जाति का उज्जवल भविष्य सुरक्षित है।